राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (30) ग्राविवि / ग्रुप–5 / जीकेएन / तक.अनु.समिति / 2015–16 जयपुर, दि. 30/3/16

::बैठक कार्यवाही विवरण::

शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18.03.2016 को आयोजित की गई। जिसमें उपस्थिति अधिकारियों की सूची परिशिष्ठ–1 पर सलंग्न है।

बैठक में एजेण्डा वार प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत विचार–विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये है:–

1. बैठक दिनांक 3.3.2016 के निर्णय बिन्दु संख्या– 1 पक्के निर्माण कार्यो के बीएसआर आईटम के दर विश्लेषण एवं कार्यो के क्रियान्वयन (नरेगा को छोडकर) में अकुशल श्रमिकों के स्थान पर अर्द्धकुशल श्रमिकों के नियोजन, उनकी दर एवं सम्पादित किये जाने वाले टास्क की मात्रा के निर्धारण हेतु लिये गये निर्णय पर श्रम विभाग से सहमति / टिप्पणी ली जावे।
2. निर्माण कार्यो में आवश्यक मशीनरी यथा – उपकरण सूची में वर्णित Hydraulic Excavator/JCB (Backet capacity 0.40 cum) के आईटम का 2 भागों में विभक्त (JCB without loader तथा JCB with loader) एवं बीएसआर सॉफ्टवेयर की उपकरण सूची में जोडने हेतु प्रस्तावित विवरण (परिभाषा) पर विस्तार से चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया कि जेसीबी एवं लोडर (Front end loader) के आईटम को अलग–अलग रखा जावे, जिससे आवश्यकतानुसार मशीनरी का उपयोग पृथक–पृथक कार्य /गतिविधि के लिए लिया जा सके।
3. बीएसआर सूची में वर्णित एक समान दर वाले मुख्य सामग्री की बाजार प्रचलित दर के निर्धारण के क्रम में आईटम एवं आवश्यकता अनुसार उपलब्धता एवं बाजार दर परिवर्तन आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। तकनीकी अनुमोदन के जिला स्तरीय सदस्यों (संभागवार जिले के अधिशाषी अभियंता) द्वारा मुख्य सामग्री (आईटमों) का चयन संबंधित जिले में प्रचलित बाजार दर सम्बन्धी जानकारी / सूचना प्राप्त की गई। निम्न सामग्री का चयन कर प्रचलित बाजार दर (18.3.2016) निर्धारित कर बीएसआर सॉफ्टवेयर के सामग्री सूची (फोरमेट–2) में दर्ज करने का निर्णय लिया गया।

क्र.सं.	सामग्री सूची का क्रमांक	सामग्री का विवरण	प्रचलित बाजार दर
1.	4.1	सीमेंट–पीपीसी	रू. 290 प्रति बैग
2.	17.1	लोहा (टॉर स्टील Fe 415/500 रेनफॉर्समेन्ट हेतु)	रू.39 प्रति किलोगाम

भविष्य में उक्त सामग्री की बाजार दर कम हो जाने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी –

पर जिला दर निर्णायक समिति के समक्ष प्रस्तुत अथवा अनुमोदित करने हेतु नहीं मंगवाये जावे। संबंधित लाईन विभाग/कार्यकारी संस्था द्वारा टेण्डर प्रीमियम की स्वीकृति पर संबंधित वित्तीय स्वीकृति जारी करने वाली संस्था को यथा–समय आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया जा सकेगा।

8. कार्यो के मूल्यांकन जांच एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने के क्रम में शिड्यूल ऑफ पावर्स में वर्णित बिन्दुओं में संबंधित लेखाधिकारी के स्तर से प्रि–चैक की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का भी निर्णय लिया गया।

9. सॉफ्टवेयर में विसंगत आईटम परिवहन के दर विश्लेषण के सम्बन्ध में श्री ओ.पी. परिहार, सहायक अभियंता द्वारा विवरण प्रस्तुत किया गया। परिवहन के विसंगत विश्लेषण इत्यादि पर आगामी बैठक में विस्तृत चर्चा कर अंतिम रूप दिये जाने का निर्णय लिया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(के.के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गॉधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू सरक्षण विभाग, जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि), ग्रामीण विकास।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.), पंचायती राज।
8. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), महात्मा गॉधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
9. संयुक्त निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू सरक्षण विभाग, जयपुर।
10. प्रभारी अधिकारी, श्री योजना, ग्रामीण विकास विभाग।
11. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला निर्णायक समिति समस्त राजस्थान।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
13. अधिशाषी अभियंता (अभि), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) एवं सदस्य सचिव जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
14. अधिशाषी अभियंता (अभि/आवास/नरेगा), ग्रामीण विकास विभाग।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)